Regarding need to provide 50 percent disability certification to monocular persons- Laid

श्री राहुल सिंह लोधी **(दमोह) :** सरकार की वर्तमान गाईडलाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक आँख से पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है और वह दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो चिकित्सक द्वारा मात्र 30 प्रतिशत दिव यांगता का प्रमाण प्रत्र ही बनाया जाता है, जो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी तरफ सरकार द्वारा गाईडलाइन यह भी जारी की गई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए । ऐसी स्थिति में एक आँख से दृष्टिहीन दिव्यांगजनों को न तो किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है (खास तौर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व शुल्क में छूट भी नहीं मिल पाती है) और न आरक्षण का लाभ मिल पाता है । आग्रह है एक आँख से दृष्टिहीन दिव्यांगजनों को कम से कम 50 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किये जाने की नवीन गाईडलाइन जारी की जाए जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं व सभी प्रकार के आरक्षणों का लाभ मिल सके क्योंकि एक हाथ व एक पैर से दिव्यांगजनों को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं । शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को रोजगारमुखी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा एक विशेष अभियान प्रारंभ किया जाये ।